बिहार सरकार

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक– /पटना, दिनांक–

सं0सं0– स्टाम्प ड्यूटी/01/2016

प्रेषक,

निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अवर निबंधक,
जिला निबंधन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण।

विषय :– **मेसर्स आदर्श एग्रो एण्ड पॉली इंडिया प्रा0 लि0, हाजीपुर, वैशाली द्वारा इण्डस्ट्रीयल एरिया, कुमारबाग, पश्चिमी चम्पारण में 116.42 टन प्रतिवर्ष क्षमता का रबर एवं प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन की इकाई स्थापना हेतु लीज किए जानेवाले 54,450 (चौवन हजार चार सौ पचास) वर्गफीट भूमि पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार–पत्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि मेसर्स आदर्श एग्रो एण्ड पॉली इंडिया प्रा0 लि0, हाजीपुर, वैशाली द्वारा इण्डस्ट्रीयल एरिया, कुमारबाग, पश्चिमी चम्पारण में 116.42 टन प्रतिवर्ष क्षमता का रबर एवं प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन की इकाई स्थापना हेतु अपने आवेदन, विवरण एवं नक्शा के अनुरूप कुल 54,450 (चौवन हजार चार सौ पचास) वर्गफीट भूमि के लीज पर सरकार द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 की कंडिका–1 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निबंधन विभाग से आदेश संख्या 3216/3217, दिनांक 24–10–11 एवं उद्योग विभाग द्वारा पत्रांक 2516, दिनांक 22–7–11 एवं 5639 (स0), दिनांक 28–11–12 से प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रस्ताव पर दिनांक 30.06.2015 को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का सहमति प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु निबंधन विभाग के आदेश संख्या 3216/3217, दिनांक 24–10–11 में निहित शर्त्तों के अनुसार उद्योग की स्थापना हेतु कम्पनी के पक्ष में इण्डस्ट्रीयल एरिया, कुमारबाग, पश्चिमी चम्पारण में प्लौट नं0– सी0–85(पी0) एवं सी0 86, 87 से कुल रकबा 54,450 (चौवन हजार चार सौ पचास) वर्गफीट भूमि के लीज पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार–पत्र निर्गत किया जाता है। भूमि संबंधी कागजात संलग्न है।

कम्पनी द्वारा लीज किए जाने वाले भूमि का उपयोग उपर्युक्त वर्णित उद्योग के लिए ही की जाएगी। यह सुविधा दोबारा देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में अग्रेतर कारवाई करने के उपरान्त स्टाम्प डयूटी एवं निबंधन शूल्क में छुट की राशि सहित पूर्ण विवरणी के साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्परण/प्रधान सचिव, निबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बियाडा एवं सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– मेसर्स आदर्श एग्रो एण्ड पॉली इंडिया प्रा0 लि0, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 389 /पटना, दिनांक– 23.02.16

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

22.02.2016

निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

22/02